

EASTERN RAILWAY

No. CPO/SC/SAS/Pol / Pt.II

Kolkata, the 30/11 Nov., 2017.

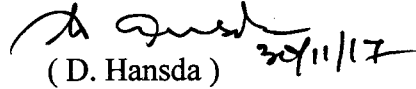
ALL CONCERNED

Sub: Recruitment of sportspersons against Sports Quota through Talent Scouting and Open Advertisement on the Railways – Videography of field trials regarding

Enclosed please find herewith the copy of Railway Board's letter No. 2014/E(Sports)/4(1)/1/Policy dated 25/10/2017 (RBE No. 160/2017 – Clarification/Corrigendum No. 86) on the subject mentioned matter.

In this regard it may be mentioned that, copy of Railway Board's earlier letter dated 10/02/2014, as referred in Board's present letter, was communicated to all concerned vide CPO/CCC's Serial No. 15/2014.

The above letter is forwarded herewith for information, guidance and necessary action please.


(D. Hansda) 30/11/17

Sr. Personnel Officer/ RP
for Principal Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter No. 2014/E(Sports)/4(1)/1/Policy dated 25/10/2017 (RBE No. 160/2017 – Clarification/Corrigendum No. 86) addressed to GM(P) All Zonal Railways & Others.

विषय: Recruitment of sportspersons against Sports Quota through Talent Scouting and Open Advertisement on the Railways-Videography of field trials regarding.

सन्दर्भ: Board's letter of even number dated 10.02.2014 (RBE No. 19/2014).

Attention is invited to Board's policy letter dated 10.02.2014 under reference, laying down the provision of videography of field trials conducted for recruitment against sports quota, both through Talent Scouting and Open Advertisement from financial year i.e. 2014-15, for a period of 3 years, on trial basis.

The matter has been reviewed in Board's office. It is advised that videography of field trials for recruitment against sports quota, both through Talent Scouting and Open Advertisement may be continued in order to maintain transparency in the interest of fair selections.

Please acknowledge receipt.



(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director/ Estt.(Sports)

पूर्व रेलवे

सं. सीपीओ/एससी/एसएस/पोल/पार्ट. II

कोलकाता, दिनांक : 30/11/ 2017

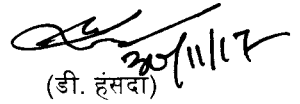
सर्व संबंधित

विषय: रेलों पर टैलेंट स्काउटिंग और खुले विज्ञापन के माध्यम से खेल-कूद कोटे के अंतर्गत खिलाड़ियों की भर्ती-फील्ड ट्रायलों की वीडियोग्राफी के बारे में।

उपर्युक्त विषयक रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2014/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/पॉलिसी दिनांक 25.10.2017 (आरबीई सं. 160/2017)-स्पष्टीकरण/शुद्धि पत्र सं.86) की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न की जाती है।

इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि बोर्ड के वर्तमान पत्र में यथा उल्लिखित रेलवे बोर्ड के पूर्ववर्ती पत्र दिनांक 10.02.2014 की प्रतिलिपि मुकाधि/कोलकाता के क्रम सं. 15/2014 के तहत सर्वसंबंधित को संसूचित किया गया था।

उपर्युक्त पत्र सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाती है।


(डी. हंसदा)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/आरपी
प्रधान कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी

सभी क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधक (का) एवं अन्य को संबोधित रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2014/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/पॉलिसी दिनांक 25.10.2017 (आरबीई सं. 160/2017)- स्पष्टीकरण/शुद्धि पत्र सं.86) की प्रतिलिपि।

विषय: रेलों पर टैलेंट स्काउटिंग और खुले विज्ञापन के माध्यम से खेल-कूद कोटे के अंतर्गत खिलाड़ियों की भर्ती-फील्ड ट्रायलों की वीडियोग्राफी के बारे में।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 10.02.2014 का समसंख्यक पत्र (आरबीई नं. 19/2014).

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 10.02.2014 के संदर्भाधीन नीति पत्र की ओर दिलाया जाता है जिसमें ट्रायल के आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए वित्त वर्ष अर्थात् 2014-15 से टैलेंट स्काउटिंग और खुले विज्ञापन दोनों के माध्यम से खेल-कूद कोटे के अंतर्गत भर्ती के लिए किए गए फील्ड ट्रायलों की वीडियोग्राफी का प्रावधान निर्धारित किया गया था।

इस मामले की बोर्ड कार्यालय में समीक्षा की गई है। यह सूचित किया जाता है कि टैलेंट स्काउटिंग और खुले विज्ञापन दोनों के माध्यम से खेल-कूद कोटे के अंतर्गत भर्ती के लिए फील्ड ट्रायलों की वीडियोग्राफी निष्पक्ष चयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जारी रखी जाए।

कृपया पावती दें।



(भास्कर राय चौधरी)

उप निदेशक, स्थापना (स्पोर्ट्स)